दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 20/11/25

वादी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री मांगीलाल सुथार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है कि –

वादीगण को प्राप्त कृषि भूमि – चक 19 पी बी एन बी के खाता सं. 65/44 के प.नं. 5/323 के मु.नं. 12 के किला नं. 6/1/0.025, 8/1/0.203, 8/2/0.025, 24/1/0.084 की कुल 0.337 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता व चक 19 पी बी एन बी के खाता सं. 66/45 के प.नं. 5/323 के मु.नं. 12 के किला नं. 6/3/0.190, 6/4/0.038, 15/1/0.215, 15/2/0.038, 16/1/0.215, 16/2/0.038, 25/1/0. 215, 25/2/0.038 प.नं. 5/324 के मु.नं. 20 के किला नं. 1/1/0.203, 1/2/0.025, 1/3/0.025, 2/1/0.203, 2/2/0.025, 2/3/0.025, 3/1/,0.203, 3/2/0.025, 3/3/0.025, 4/1/0.203, 4/2/0.025, 4/3/0.025, 5/1/0.165, 5/2/0.063, 5/3/0.025, 6/1/0.215, 6/2/0.038, 7 ता 9 की कुल 3.264 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला रास्ता खातेदारी भूमि का बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.02 14:45:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20/11/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.02 14:45:54 IST
Reason: SelfAttested